International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 4, July-August, 2025

ग्रामीण विकास एवं सर्वांगीण ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका का अनुभवमूलक व विश्लेषणात्मक अध्ययन (राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों के विशेष सन्दर्भ में)

हीरा लाल गुर्जर[1], डॉ. ब्रिज लाल शर्मा[2]

[1]सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, श्री बलदेव राम मिर्धा राजकीय महाविद्यालय, नागौर
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान
[2]शोध पर्यवेक्षक, सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान

सारांश

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। भारतीय संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई है। लोकतंत्र मानव गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता, राजनीतिक निर्णयों में जन भागीदारी के कारण शासन का श्रेष्ठतम रूप माना जाता है। लोकतंत्र राजनीतिक परिस्थिति या शासन चलाने की पद्धति मात्र नहीं है अपितु यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति भी है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन, एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था, एक विशेष मनोवृति एवं जीवन जीने की विशिष्ट पद्धति भी है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। लोकतंत्र का आधार शासन में जनसहभागिता के साथ ही शासन का निम्न स्तर तक विकेन्द्रीकरण है, उसी भावना का साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था है।

शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को एक ऐसी व्यवस्था कहा जा सकता है जिसमें जनता शासन शक्तियों का प्रयोग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। प्रतिनिध्यित्मक लोकतंत्र व्यावहारिक होने के कारण विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र का यही स्वरूप प्रचलित है। शक्ति राजनीति का आधार है लेकिन लोकतंत्र में इसका प्रयोग समानता, न्याय एवं स्वतंत्रता के मानदण्ड़ों के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि सर्वोच्च शासन की जड़े जन साधारण के बीच हों ताकि उन्हें अपनी आवश्यकताओं एवं मांगों को अभिव्यक्त करने का समुचित अवसर मिल सके। लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए गांधीजी ने कहा था लोकतंत्र का अर्थ मैं यह समझता हूँ

कि इस तंत्र में नीचे से नीचे तथा ऊँचे से ऊँचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन केवल अहिंसा से ऐसा हो नहीं सकता। गांधीजी ने अपने अंतिम सार्वजनिक लेख (वसीयतनामे) में लिखा कि सच्ची लोकशाही केन्द्र में बैठे दस बीस आदमी नहीं चला सकते, वह तो नीचे से गांव के हर आदमी द्वारा चलाई जानी चाहिए। जवाहर लाल नेहरू ने लोकतंत्र के स्वरूप की विवेचना करते हुए कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक एवं आर्थिक ही नहीं अपितु कुछ मानसिकता से भी है अर्थात् लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समानता के अवसर मिलने चाहिए।

संकेताक्षर :- लोकतंत्र, ग्रामीण विकास, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन, विकेन्द्रीकरण, प्रशासनिक

प्रस्तावना :- ग्रामीण विकास से तात्पर्य गाँवों के समग्र विकास से है। ग्रामीण विकास को जानने के लिए आवश्यक है कि ग्राम तथा विकास का शाब्दिक अर्थ जानें - एक सामुदायिक इकाई जहाँ एक निश्चित संख्या में लोग निवास करते हों गाँव या ग्राम कहलाता है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार, पांच हजार से कम जनसंख्या जहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो तथा जनसंख्या घनत्व चार सौ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो उसे ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। यदि जनसंख्या पांच हजार से अधिक हो तथा उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों का व्यवसाय खेती हो तो उसे भी गाँव कहेंगे।

जहाँ तक विकास शब्द का प्रश्न है विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के द्वारा लोगों के जीवन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सुधार का प्रयास किया जाता है। विकास में मानव जीवन के सभी पहलुओं - आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी इत्यादि पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है अतः विकास का सम्बन्ध मानव के सर्वांगीण विकास से है।

ग्रामीण विकास का क्षेत्र
ग्रामीण विकास एक विस्तृत विषय है फिर भी सार रूप में इसके क्षेत्र अथवा विषय वस्तु को चार भागों में बाँटा जा सकता है - 1 कृषि एवं सहायक क्रियाएँ, 2 ग्रामीण उद्योग, 3 सामाजिक सेवायें, 4 आधारभूत ढाँचा

कृषि एवं सहायक क्रियाओं के अंतर्गत कृषि, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग, वानिकी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, खनन एवं उत्खनन, पर्यावरण व अन्य सम्मिलित हैं।

ग्रामीण - उद्योग के अंतर्गत खादी व हथकरघा, हस्त-कौशल, बर्तन बनाना, गुड़ व खाण्डसारी, तेल-घाणी, बढ़ईगिरी, चन्दा-उद्योग, औजार एवं उपकरण अन्य ग्रामीण उद्योग सम्मिलित हैं। जहाँ तक सामाजिक सेवाओं का प्रश्न है इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल-आपूर्ति, विद्युत-पूर्ति एवं सफाई अन्य सम्मिलित हैं। आधारभूत ढाँचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, सहकारी संस्थाएँ आदि सम्मिलित हैं।

टोंक जिले की पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की ग्रामीण विकास में भूमिका का -
टोंक जिले की पीपलू तहसील का क्षेत्रफल 692 वर्ग किमी है और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख सत्रह हजार छः सौ चौवालीस है। पीपलू टोंक जिले की जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। पीपलू तहसील में ग्राम पंचायतों की संख्या पच्चीस है। पीपलू तहसील के 126 राजस्व गाँव है। अध्ययन के लिए तेरह ग्राम पंचायतों के तैंतीस गाँवों से यादृच्छिक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया गया, जिसका विश्लेषण निम्न प्रकार से है –

विकास कार्य -
पीपलू तहसील निवाई विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आती है राजस्थान सरकार के वित्तीय साल 2025-26 के बजट में निवाई विधानसभा क्षेत्र को निम्नलिखित विकास कार्यों के लिए बजट पारित किया गया-
1. वनस्थली ग्रामीण पेयजल योजना का विस्तार और सुधार के लिए 8 करोड़ 69 लाख रुपये दिये।
2. विधान सभा में सड़कों के निर्माण के लिए 9 करोड़ 57 लाख रुपये दिये।
3. स्टेट हाईवे 117 से जेबाड़िया तक वेटेड कोजेब के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये दिये।
4. नटवाड़ा गांव में भगवान बद्रीनाथ मंदिर की आधारभूत संरचना को मजबूत किया।
5. पीपलू अस्पताल में बेड की संख्या में वृद्धि की गयी।
6. औद्योगिक पार्क का निर्माण।
7. राजस्थान बजट जुलाई 2024 में जब सरकार ने पीपलू को नगर पालिका की सौगात दी।

पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतें भी विकास की दिशा में आगे बढी। जब ग्रामीणों से इस बारे में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जाना तो 76 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया की भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन के बाद राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बढ़े हैं। इन विकास कार्यों में चिकित्सा, आवास, सड़क, बिजली और शिक्षा क्षेत्रों में विकास मुख्य है। 24 प्रतिशत ग्रामीणों ने बताया कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद राजस्थान के टोंक जिले की पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों में विकास कार्य नहीं बढ़ें है।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद पीपलू तहसील के गाँवों में राजनीतिक सहभागिता बढी है।
राजनीतिक सहभागिता की परिकल्पना को व्यवहारवादियों ने लोकप्रिय बनाया है। ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक सहभागिता में -
स्थानीय चुनावों में मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना।
जनमत संग्रह में मतदान करना।
चुनाव प्रचार अथवा अन्य प्रकार के चुनाव अभियान।
किसी राजनीतिक दल की सक्रिय सदस्यता।
किसी दबाव समूह की सक्रिय सदस्यता।
सरकार की परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता।
राजनीतिक प्रदर्शनों, हड़तालों में भाग लेना।
सामाजिक नीतियों के कार्यान्वयन में भागीदारी।
विविध प्रकार के सामुदायिक कार्यकलापों में भाग लेना।
सामाजिक और सार्वजनिक चर्चा में भाग लेना।

वैयक्तिक तथा सामूहिक अभेदवाद से संबंधित नए सामाजिक आन्दोलन जैसे महिलाओं के आन्दोलन तथा जातिय – सांस्कृतिक अभेदवाद के आन्दोलन में भाग लेना।

ग्रामीणों में राजनीतिक जागरूकता 73वें संविधान संशोधन के बाद ही आयी है, अब ग्रामीण अपने कर्तव्य, और अधिकार भी समझने लगे है। राजनीतिक सहभागिता का कारण ग्रामीण शिक्षा का विकास होता है। पीपलू तहसील के गाँवों में भी भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद राजनीतिक सहभागिता बढी है। जब ग्रामीणों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जाना तो

84.8 प्रतिशत ग्रामीणों ने कहा भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद पीपलू तहसील में राजनीतिक सहभागिता बढी है। 15.20 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के बाद पीपलू तहसील में राजनीतिक सहभागिता नहीं बढ़ी है।

आधारभूत सुविधाएं उन सेवाओं और सुविधाओं को कहा गया है जिसके बढ़ने से विकास दर बढ़ती है। जैसे सड़क, पेयजल, दूरसंचार, बैंकिंग, रेलवे, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा परिवहन, शिक्षा और चिकित्सा आदि। आधारभूत सुविधाओं के साथ महंगाई पर लगाम होनी चाहिए साथ ही भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए तभी सरकार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती है। पीपलू तहसील के गाँवों में भी पंचायतों के संवैधानिक गठन से पीपलू तहसील के गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पंचायतों का योगदान रहा है और सुविधाएं भी बढ़ी है। जब ग्रामीणों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जानना चाहा तो 54 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि पंचायतों के संवैधानिक गठन से पीपलू तहसील के गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में पंचायतों का योगदान रहा है। 46 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने पंचायतों के संवैधानिक गठन से पीपलू तहसील के गाँवों में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में पंचायतों का योगदान नहीं रहा बताया है।

राजस्थान सरकार पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा, रहवासी और कृषि भूमि के पट्टे की योजना, आवास, बिजली, गैस सिलेण्डर, खाद्यान्न, कृषि और सिंचाई के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही है। कई योजनाओं का लाभ ग्रामीण लोगों को समय पर मिल जाता है और कई बार इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण लोग जागरूकता के बिना नहीं उठा पाते है। पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों के गाँवों के लोग भी सरकारी योजनाओं में पंचायतों की सहायता से पंजीकृत होकर लाभ ले रहे हैं। जब ग्रामीणों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जाना तो 62.80 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि सरकारी योजनाएं लागू हो रही है और जनता उन सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उठा रही है। 37.20 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के लागू होने के बाद समय पर लाभ नहीं उठाने की बात बतायी।

1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या में अनुपात के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल तीनों स्तर की पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या एक-तिहाई से कम न हो, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण एक तिहाई से कम नहीं होगा। यह अधिनियम विधानमंण्डल को उसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। जब ग्रामीणों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जाना तो 58.40 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि आरक्षित जनप्रतिनिधि संविधान निर्माताओं के अनुरूप अपने कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व सही से निभा रहे है। 41.6 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया निभाने में सफल नही हुए हैं।

लोकतन्त्र का मूलमंत्र ही व्यवस्था को सही से संचालन करना है यदि जनप्रतिनिधि और लोक सेवक, मिलकर व्यवस्था संचालन करते है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति तक मुलभूत सुविधाएं और योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। जनप्रतिनिधि और लोकसेवक मिलकर ही लोकतन्त्र के रथ को सही चला सकते हैं। जनप्रतिनिधि और लोकसेवक आपस में सहयोगात्मक कार्य करने से ही सुशासन की स्थापना हो सकती है। कुछ शक्तियाँ जनप्रतिनिधियों के पास ज्यादा होती है और कुछ शक्तियां जनसेवकों के पास ज्यादा होती है इसलिए दोनों पक्षों में तालमेल जरुरी है। पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जाना तो 80 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि जनप्रतिनिधियों एवं लोक सेवकों के संबंधों का उनकी कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। 12 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि जनप्रतिनिधियों एवं लोक सेवकों के संबंधों का उनकी कार्यप्रणाली पर प्रभाव नहीं पड़ता है। 85.6 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि जनप्रतिनिधि और लोक सेवकों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। 4 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने जनप्रतिनिधियों और लोकसेवकों के बीच संबंध के बारे में जवाब नहीं दिया। 10.40 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया जनप्रतिनिधि और लोकसेवकों के बीच दूरी होनी चाहिए।

स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की सफलता एक निर्णायक सीमा तक उनकी पर्याप्त वित्तीय स्रोतों एवं सुदृढ आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। स्थानीय शासन की संस्थाओं के सम्बन्ध में यह कथन सत्य सिद्ध है कि वित्तीय स्रोत ही प्रशासन का जीवन सार है। अतः पंचायती राज संस्थाओं की सफलता एवं कार्यकुशलता भी वित्तीय प्रशासन पर निर्भर करती है। सादिक अली समिति ने भी स्वीकार कर कहा है कि कोई भी संस्था प्रभावशील एवं उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती यदि वह अपने कार्यों को संचालित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं रखती। पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जाना तो 90.4 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया वित्त प्रबंधन की व्यवस्था का जनप्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। 9.6 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया कि वित्त प्रबंधन की व्यवस्था का जनप्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में राजनीतिक एवं प्रशासनिक चेतना का संचार 73वें संविधान संशोधन के बाद ज्यादा हुआ। यह जागरूकता से संबंधित है जिसका प्रभाव उनकी जीवन शैली पर पड़ता है। ग्रामीणों द्वारा सरपंच, वार्डपंच, पंचायत समिति, प्रधान, जिला परिषद्

सदस्य और जिला प्रमुख के कार्य और कर्त्तव्यों को समझना ही ग्रामीण लोगों की राजनीतिक चेतना को संदर्भित करता है। पटवारी, बीडीओ, तहसीलदार, एस डी एम, सीईओ और कलेक्टर के कार्य और कर्तव्यों को समझना ही ग्रामीण लोगों की प्रशासनिक चेतना है। पीपलू तहसील की ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों से जब साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से उत्तर जाना तो 92.8 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया ग्रामीण लोगों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक चेतना जनप्रतिनिधों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। 7.2 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने बताया ग्रामीण लोगों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक चेतना का जप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करती है।

प्रमुख सुझाव –

1. ग्राम सभा गाँव की योजना एवं उसकी प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है, उसी अनुसार कार्य स्वीकृत हों।
2. राशि सीधे ग्राम पंचायत स्तर पर गाँव की आधारभूत सुविधाओं हेतु दी जाये।
3. राशि पर्याप्त होनी चाहिये जिससे वास्तव में मूलभूत आवश्यकतायें पूरी हो सकें।
4. कार्य क्रियान्विति में 3 सदस्यों की निगरानी समिति बने जो सतर्कता बरतें एवं जांच कर गुणवत्ता स्तर सुनिश्चित करें।
5. पारदर्शिता रहे, कुल राशि एवं व्यय की जानकारी सभी पंचों को रहे। ये आंकड़े ग्रामसभा में ग्रामवासियों को भी बताए जावे। पंचायत के बोर्ड पर भी लिखवा दी जाए। अब इस हेतु भी प्रावधान किये गये हैं।
6. जिला आयोजना समिति द्वारा जिला स्तर के कार्यों हेतु प्राथमिकता अनुसार राशि जिला परिषद् को दी जाये जो ग्रामीण क्षेत्रों के कार्य सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी के माध्यम से करवायें, उनकी प्रगति का समय-समय पर जिला परिषद् में पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन होता रहना चाहिए।
7. जिला परिषद् को जिला सरकार का रूप दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित सभी जिला स्तरीय अधिकारी जिला परिषद के प्रशासनिक नियन्त्रण में रहें। राज्य स्तर से केवल नियुक्ति, पदस्थापन, तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाये।
8. पंचायत स्तर पर ग्राम सरकार हो। ग्राम स्तर पर आधारभूत सेवाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला बाल विकास, सार्वजनिक वितरण सम्बन्धित कार्य, सम्बन्धित स्टाफ एवं बजट पंचायत स्तर पर हस्तांतरण हो।
9. प्रत्येक पंचायत पर अनिवार्य रूप से एक सचिव हो जो नियमित रूप से ग्राम पंचायत कार्यालय संचालन करें। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य प्रतिवेदन प्रति सोमवार पेश करें एवं प्रति 15 दिन में पंचायत बैठकों में उनके कार्यों का पुनरीक्षण होकर दिशा निर्देश दिये जायें। हैण्डपम्प मिस्त्री पंचायत में रहें, मरम्मत हेतु उचित धनराशि पंचायत को दी जाये। आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन ग्राम पंचायत समिति, विभागीय अधिकारी नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करे तथा पंच-सरपंच लाभार्थियों की आंगनबाडी केन्द्र पर उपस्थिति सुनिश्चित करें।
10. स्थानीय लोक सेवक प्रत्येक तीन माह में ग्राम की बैठकों में भाग लेवे।
11. प्रत्येक गाँव में ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए। ग्राम सहकारी समिति द्वारा ऋण और कृषि विपणन की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए।
12. प्रत्येक गाँव में चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम जनप्रतिनिधियों को प्राथमिकता से करना चाहिए।
13. जन प्रतिनिधियों को ग्रामीण लोगों को रोजगार दिलाने में सहायता करनी चाहिए।
14. सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को ग्रामीण स्तर की सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता से मिलना चाहिए।
15. प्रत्येक परिवार के लिए पीने योग्य पानी और खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. जोशी आरपी एवं मंगलानी रूपा, भारत में पंचायती राज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, तृतीय संशोधित संस्करण 2010
[2]. कटारिया सुरेन्द्र, पंचायती राज संस्थाएं अतीत वर्तमान और भविष्यः नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर नई दिल्ली द्वितीय संस्करण 2010
[3]. शर्मा अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, आ वी एस ए पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. लखनउ, 1980
[4]. राठौड गिरवर सिंह, शर्मा सीमा, राठौड निहारिका, ग्रामीण स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीण विकास, पंचशील प्रकाशन जयपुर, प्रथम संस्करण 2017
[5]. निरंजन मिश्रः भारत में पंचायती राज परिबोध प्रकाशन, जयपुर 2006
[6]. आर.पी जोशी, रूपा मंगलानी, भारत में पंचायती राजः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2010
[7]. डॉ. बी.एल. ग्रोवर ए. यशपालः आधुनिक भारत का इतिहास, एस. चांद एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली 1990
[8]. डॉ. शाम शास्त्रीः कौटिल्याज् अर्थशास्त्र प्रिंट्स प्रेस मैसूर, 1956
[9]. डॉ. एस. आर. माहेश्वरी रू भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण ग्रवाल, आगरा, 1990